राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज,बिजनौर
Rajkiya Engineering College, Bijnor
An Institute of Government of Uttar Pradesh
(AICTE APPROVED)
Jaleelpur Road, Near Eidgah,
Chandpur, Distt- Bijnor,
Uttar Pradesh, India -246725,
Website : www.recb.ac.in
Ph: 01345-221301
Fax 01345-221302

पत्रांक सं0: 5/रा0इ0का0/अ0का0द0/छा0शु0प्र0/2019–20 दिनांकः /08/2019

–: छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित आवश्यक सूचना :–

संस्थान में अध्ययनरत् छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु पात्र छात्र–छात्राओं को सूचित किया जाता है कि सत्र 2019–20 में छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति का आन लाइन **फार्म भरने से पहले निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुये** छात्र–छात्रायें अपना–अपना छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति फार्म **ऑन लाइन दिनांक 15 सितम्बर, 2018 तक भरना सुनिश्चित करें।** किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए छात्र–छात्राए स्वयं जिम्मेदार होगें।

1. सत्र 2019–20 में नव प्रवेशित छात्र–छात्रायें न्यू रजिस्ट्रेशन करेगें व पुराने छात्र–छात्रायें नवीनीकरण (Renew) करेगें ।
2. यदि कोई छात्र वार्षिक परीक्षा में अनुर्त्तीर्ण/ईयर बैक/Re-Admitted हो जाते है वे छात्र छात्रवृत्ति फार्म भरने के पात्र नही होगे।
3. यदि किसी छात्र को जिस वर्ष हेतु छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान की गयी है और यह पाया जाता है कि छात्र ने पाठयक्रम का अध्ययन छोड दिया है तो छात्र को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि वापस करनी होगी। यदि कोई छात्र वार्षिक परीक्षा में अनुपस्थित रहता है तो उस दशा में उस पाठयक्रम का अध्ययन छोड दिया जाना माना जायेगा और छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि की वसूली विभाग द्वारा की जायेगी।
4. नये छात्रो द्वारा ऑन लाइन आवेदन पूर्ण कराने तथा अन्तिम प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में ऑनलाइन आवेदन में हुई कतिपय त्रुटियों को राष्टीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेन्ट सेक्शन में प्रदर्शित किया जायेगा। यह मुख्य रूप से प्राप्तांक/पूर्णक, बैंक खाता संख्या, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र के क्रमांक इत्यादि की प्रविष्टि में त्रुटि से संबंधित होगी।
5. वर्ष 2019–20 से सभी छात्रों को अपने आवेदन पत्र में आधार नम्बर तथा नवीनी करण के छात्रों को आधार नम्बर के साथ–साथ एनरोलमेन्ट नम्बर भरना अनिवार्य होगा। तथा छात्र–छात्राओं को अपना आधार कार्ड न0 को सम्बन्धित बैक खाता से लिंक कराना आवश्यक है।
6. यदि कोई छात्र पाठ्यक्रम को अधूरा छोडकर किसी दूसरे पाठ्क्रम में प्रवेश लेता है, तो वह नये पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु पात्र नही होगा। छात्र के अभिभावक द्वारा शपथ पत्र से औचित्य प्रमाणित होने तथा नये पाठ्यक्रम में अध्ययन जारी रखने पर नये पाठय्क्रम में दूसरे वर्ष से नये छात्र के रूप में छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु पात्र होगा। पुनः पाठ्यक्रम परिवर्तन करने पर छात्र नये पाठ्यक्रम की छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु पात्र नही होगा।
7. संस्थान में अध्ययनरत अभ्यार्थी को शासन द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि तक ऑनलाइन छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति का आवेदन पत्र भरना होगा अन्तिम तिथि के पश्चात् भरे जाने वाले ऑनलाइन छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन पत्रों पर विचार नही किया जायेगा।
8. किसी भी समूह में छात्र के वार्षिक परीक्षा में असफल रहने की स्थिति में उसकी छात्रवृत्ति का नवीनीकरण नही हो सकेगा। सम्बन्धित छात्रों को तबतक अपना खर्च स्वयं वहन करना होगा। जबतक वह अगली उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत नही हो जाता है।
9. छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति, अभ्यार्थी की संतोष जनक प्रगति एवं आचरण पर निर्भर करती है। यदि किसी समय संस्थान प्रमुख द्वारा समाज कल्याण विभाग को सूचित किया जाता है कि कोई अभ्यार्थी स्वंय अपने आचरण अथवा चूक के कारण संतोष जनक प्रगति करने में असफल रहा है अथवा उसे दुर्व्यवहार जैसे– हडताल करने या उसमें भाग लेने, सम्बन्धित प्राधिकारियों की अनुमति के बगैर उपस्थिति में अनियमितता आदि में दोषी पाया जाता है तो छात्रवृत्ति संस्वीकृत करने वाला प्राधिकारी या तो छात्रवृत्ति रद्द कर सकता है या तो रोक सकता है। या ऐसी अवधि, जो वह उचित समझे, तक के लिये आगे का भुगतान रोक सकता है।
10. छात्रों की कक्षाओं में 75% उपस्थिति अनिवार्य है जिन छात्र–छात्राओं की कक्षाओं में उपस्थिति 75% से कम पायी जाती है उन छात्र–छात्राओं का छात्रवृत्ति फार्म को संस्थान से अग्रेसित नही किया जायेगा।

(संतोष कुमार)
नोडल अधिकारी
छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ

राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज,बिजनौर
Rajkiya Engineering College, Bijnor
An Institute of Government of Uttar Pradesh
(AICTE APPROVED)
Jaleelpur Road, Near Eidgah,
Chandpur, Distt- Bijnor,
Uttar Pradesh, India -246725,
Website : www.recb.ac.in
Ph: 01345-221301
Fax 01345-221302

—:: आवश्यक सूचना ::—

सत्र 2019—20 हेतु संस्थान में अध्ययनरत बी0टेक प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष के छात्रवृत्ति हेतु पात्र सामान्य वर्ग, अ0पि0व0, अल्पसंख्यक वर्ग, अनुसूचित जाति, अनु0जन जाति वर्ग के छात्र—छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जिनके माता—पिता/अभिभावक की आय रू0 2.50 लाख तक है। उन पात्र छात्र—छात्राओं का छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन फार्म ऑन लाइन द्वारा भरा जाना है। वेबसाइट **scholarship.up.nic.in** पर छात्रवृत्ति का फार्म अपलोड करने के उपरान्त उसका प्रिन्ट लेकर सभी संलग्नकों सहित अपने—अपने समिति के सदस्य के कार्यालय में दिनांकः 15 सितम्बर, 2019 तक जमा कर दें। समिति के सदस्यों द्वारा जॉचोपरान्त, अग्रसारित करके अधिष्ठाता कार्यालय में दिनांकः 20 सितम्बर, 2019 तक भिजवाने का कष्ट करें। जिससे समयानुसार जिला विद्यालय निरीक्षक/समाज कल्याण विभाग को प्रेषित किया जा सके। छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का फार्म अपूर्ण व विलम्ब से जमा होने के कारण अग्रसारित न होने की दशा में छात्र—छात्राए स्वयं जिम्मेदार होगें।

संलग्नक :

1. दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति ऑनलाइन फीडेड आवेदन पत्र की प्रिन्ट की कापी।
2. एलॉटलमेन्ट लेटर की छाया प्रति (केवल प्रथम वर्ष एवं लेटरल इंट्री छात्रों हेतु)।
3. हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट की मार्कसीट व पास सर्टिफिकेट की फोटो कापी।
4. अन्तिम सेमेस्टर की मार्कसीट की छाया प्रति (द्वितीय, तृतीय एवं अन्तिम वर्ष के छात्रों के लिए)
5. आय प्रमाण—पत्र (माता—पिता/अभिभावक के नाम) तथा इन्टरनेट की सत्यापन प्रति के साथ।
6. जाति प्रमाण पत्र की फोटो कापी इन्टरनेट की सत्यापन प्रति के साथ (सामान्य वर्ग को छोड़कर)।
7. निवास प्रमाण—पत्र की फोटो कापी। (उ0प्र0 राज्य का स्थाई निवासी)
8. जिनके माता—पिता/अभिभावक नौकरी में हो तो आय प्रमाण—पत्र के साथ फार्म—16 अथवा वेतन प्रमाण—पत्र भी लगावें।
9. कालेज में जमा किये गये शुल्क की रसीद (रसीद संख्या सहीत) की फोटो कापी।
10. यदि छात्र हास्टल में आवासित है, तो हास्टल द्वारा प्रदान की गयी शुल्क की रसीद की सत्यापित प्रति।
11. यदि दो कक्षाओं के बीच गैप हो तो तद् आशय का स्वप्रमाणित शपथ पत्र।
12. बैक पास बुक की छाया प्रति (जिसमें छात्र/छात्रा के नाम व खाता संख्या एवं IFSC कोड अंकित हो) संस्था में संचालित बैक का हो।
13. छात्र एवं उनके माता—पिता/अभिभावक द्वारा रू0 10/— के स्टाम पेपर पर इस आशय का शपथ—पत्र कि छात्र के आवेदन पत्र के साथ संलग्न आय प्रमाण पत्र में दर्शायी गयी आय समस्त स्रोतों से सही है एवं इसके अतिरिक्त आय का कोई श्रोत नहीं है, नोटरी कराकर संलग्न करें।
14. छात्र — छात्रा एवं उनके माता — पिता के आधार कार्ड की छायाप्रति।
15. शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन में केवल अनिवार्य शुल्क भरा जाना है।

नोट :— 1. फार्म का अन्तिम प्रिन्ट करने के पूर्व उसका प्रिन्ट लेकर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय व जॉच कमेटी से जॉच कराने के बाद ही अन्तिम प्रिन्ट में लें।

2. छात्र का आय प्रमाण—पत्र उसके माता—पिता/अभिभावक के नाम का मान्य होगा। उपरोक्त में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने की दशा में छात्र—छात्राए स्वयं जिम्मेदार होगें।

(संतोष कुमार)
नोडल अधिकारी
छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ

राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज,बिजनौर
Rajkiya Engineering College, Bijnor
An Institute of Government of Uttar Pradesh
(AICTE APPROVED)
Jaleelpur Road, Near Eidgah,
Chandpur, Distt- Bijnor,
Uttar Pradesh, India -246725,
Website : www.recb.ac.in
Ph: 01345-221301
Fax 01345-221302

–:: अति आवश्यक सूचना ::–

सत्र 2018–19 हेतु संस्थान में अध्ययनरत बी0टेक प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष के छात्रवृत्ति हेतु पात्र सामान्य वर्ग, अ0पि0वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग एवं अनु0 जन जाति वर्ग की छात्र–छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जिनके माता–पिता/अभिभावक की आय रू0 2.50 लाख तक है। उन पात्र छात्र–छात्राओं का छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन फार्म ऑन लाइन द्वारा भरा जाना है। आवेदन फार्म में नीचे दिये फीस के अनुसार समाज कल्याण विभाग द्वारा अनिवार्य नॉन रिफेन्डेंबिल शुल्क निम्न प्रकार भरा जायेगा।

1st Year & 2nd Year (Lateral Entry)	2nd Year	3rd Year	4th Year
समाज कल्याण विभाग द्वारा दिये जाने वाला नॉन रिफन्डेबुल शुल्क	समाज कल्याण विभाग द्वारा दिये जाने वाला नॉन रिफन्डेबुल शुल्क	समाज कल्याण विभाग द्वारा दिये जाने वाला नॉन रिफन्डेबुल शुल्क	समाज कल्याण विभाग द्वारा दिये जाने वाला नॉन रिफन्डेबुल शुल्क
रू0 54,680/-	**रू0 53,680/-**	**रू0 53,680/-**	**रू0 54,180/-**

नोट :– अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के छात्र/छात्रायें कालेज में जमा की गयी फीस का उल्लेख नहीं करेगें। क्योंकि उनके लिए फीस का कॉलम ओपेन नहीं होगा।

(संतोष कुमार)
नोडल अधिकारी
छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ